# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

**पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस**

राजस्व आवेदन संख्या 213/2023

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

**प्रार्थीगण**

1. बालाराम पुत्र उकाराम
2. तेजाराम पुत्र उकाराम
3. हमीराराम पुत्र लालाराम
4. गोमाराम पुत्र लालाराम

जातियान राईका निवासीयान सड़ा–झून्ड तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

**बनाम**

**विप्रार्थीगण**

1. चैनाराम पुत्र जेमताराम
2. जगनाराम पुत्र शेम्भूराम
3. महेन्द्रा पुत्र शेम्भूराम
4. लिखमाराम पुत्र शेम्भूराम
5. विरधाराम पुत्र शेम्भूराम
6. आसूराम पुत्र खंगाराराम
7. जेनाराम पुत्र आम्बाराम
8. जोराराम पुत्र लिछमणाराम
9. धनाराम पुत्र लिछमणाराम
10. धनाराम पुत्र लिछमणाराम
11. पुरखाराम पुत्र पूनमाराम
12. बगाराम पुत्र पदमाराम
13. मगाराम पुत्र लिछमणाराम जातियान राईका निवासीयान सडा झुण्ड तहसील सिणधरी
14. खेमाराम पुत्र चेनाराम
15. प्रभूराम पुत्र ताजाराम
16. बाबूराम पुत्र ताजाराम
17. भंवराराम पुत्र चेनाराम
18. हनुमानराम वल्द चेनाराम
19. करनाराम पुत्र गोमाराम
20. जेठाराम [illegible]
21. [illegible]
22. भैराराम पुत्र [illegible]
23. गणेशीलाल पुत्र हरलाल
24. गोपालाल पुत्र हरलाल जातियान ब्राह्मण निवासीयान सडा झुण्ड तहसील सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:10 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

25. कंवराराम पुत्र कानाराम
26. कानाराम पुत्र रूपाराम
27. गिरधारीराम पुत्र प्रभुराम
28. जेरामाराम पुत्र प्रभूराम
29. जोधाराम पुत्र रूपाराम
30. अणदाराम पुत्र मोटाराम
31. उमाराम पुत्र मोटाराम
32. गोमाराम पुत्र मोटाराम
33. भारमलराम पुत्र मोटाराम जातियान जाट निवासीयान प्रमेश्वर नगर तहसील सिणधरी
34. तहसीलदार सिणधरी

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

**उपस्थिति–**

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

## आदेश

**दिनांक** 14.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा सडा झुण्ड पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी खसरा नम्बर 56/2, 56/4, 92/1 रकबा कमशः 5.8976, 3.8023, 6.6419 कुल रकबा 16.3418 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 56,56/3, 92/2 रकबा 5.8976, 5.5821, 4.8540 हैक्टेयर कुल रकबा 16.3337 हैक्टयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा [illegible] आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या रीमा [illegible] दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा सडा झुण्ड पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी खसरा नम्बर 56/2, 56/4, 92/1 रकबा कमशः 5.8976, 3.8023, 6.6419 कुल रकबा 16.3418 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 56,56/3, 92/2 रकबा 5.8976, 5.5821, 4.8540 हैक्टेयर कुल रकबा 16.3337 हैक्टयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:10 IST
Reason: SelfAttested

2 प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3 वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खेत मौजा सडा झुण्ड पटवार क्षेत्र सडा तहसील सिणधरी खसरा नम्बर 56/2, 56/4, 92/1 रकबा कमश 5.8976, 3.8023, 6.6419 कुल रकबा 16.3418 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 56,56/3, 92/2 रकबा 5.8976, 5.5821, 4.8540 हैक्टेयर कुल रकबा 16.3337 हैक्टयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतो के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा सडा झुण्ड पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी खसरा नम्बर 56/2, 56/4, 92/1 रकबा कमशः 5.8976, 3.8023, 6.6419 कुल रकबा 16.3418 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 56,56/3, 92/2 रकबा 5.8976, 5.5821, 4.8540 हैक्टेयर कुल रकबा 16.3337 हैक्टयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा सडा झुण्ड पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी खसरा नम्बर 56/2, 56/4, 92/1 रकबा कमशः 5.8976, 3.8023, 6.6419 कुल रकबा 16.3418 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 56,56/3, 92/2 रकबा 5.8976, 5.5821, 4.8540 हैक्टेयर कुल रकबा 16.3337 हैक्टयर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि [illegible] होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण [illegible] ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:10 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सडा झुण्ड पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी खसरा नम्बर 56/2, 56/4, 92/1 रकबा कमशः 5.8976, 3.8023, 6.6419 कुल रकबा 16.3418 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 56,56/3, 92/2 रकबा 5.8976, 5.5821, 4.8540 हैक्टेयर कुल रकबा 16.3337 हैक्टयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए

उपखण्ड अधिकारी

नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 2000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

**उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी**

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:10 IST
Reason: SelfAttested